

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

संचिका सं० : - 9/निधि-स्कीम (0101-पुल प्रक्षेत्र)-02-10/2026- 21 (S)weA पटना, दिनांक -13/05/26

सेवा में, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग (मु०) /

कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, (आवंटन विवरणी के अनुसार)।

विषय: माँग सं०-41 के मुख्य शीर्ष- 5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष- 03- राज्य राजमार्ग, लघु शीर्ष-101-सेतु, उपशीर्ष-0101-पुल, विपत्र कोड- 41-5054031010101, विषय शीर्ष- 0101.53.01- मुख्य निर्माण कार्य एवं विषय शीर्ष- 0101.53. 02- भू-अर्जन मद अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

आदेश: चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में आवंटन विवरणी के स्तम्भ सं०-7 में अंकित माँग पत्र के आलोक में संबंधित प्रमंडलों / निगम को आवंटन विवरणी के स्तम्भ सं०- 5 में अंकित राशि के अनुसार कुल **₹32,00,00,000/- (बत्तीस करोड़ रुपये)** मात्र निधि का आवंटन किया जाता है। इस आवंटन सहित संबंधित प्रमंडलों / निगम को आवंटन विवरणी के अनुसार वर्ष 2026-27 में कुल आवंटित राशि स्तम्भ सं०-6 के अनुसार हो जायेगी।

2. यह व्यय पथ निर्माण विभाग के आय-व्यय 2026-27 में बजट उपबंधित राशि से वहन किया जायेगा।
3. यह व्यय माँग संख्या- 41 के मुख्य शीर्ष-5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-03-राज्य राजमार्ग, लघुशीर्ष-101-सेतु, उप शीर्ष-0101-पुल, विपत्र कोड- 41-5054031010101, विषय शीर्ष- 0101.53.01- मुख्य निर्माण कार्य एवं विषय शीर्ष- 0101.53. 02- भू-अर्जन मद अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में बजट उपबंधित राशि से विकलनीय है।
4. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561/वि.(2) दिनांक- 17.04.1998, पत्रांक- 236/वि. दिनांक- 09.03.2026 एवं पत्रांक-314 /वि. दिनांक-01.04.2026 में दिये गये निदेश के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
5. प्रमंडल / निगम/ कार्यालय द्वारा आवंटित राशि को स्वीकृत योजना के प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश के विरुद्ध वित्त विभाग के पत्रांक-एम०-4-53/2007-6439 दिनांक-28.08.2018 एवं अन्य संबंधित विभागों द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में ही व्यय की जाय।
6. आवंटित राशि का व्यय नियमानुसार CFMS के माध्यम से किया जायेगा।
7. यह व्यय प्रशासनिक एवं प्रावैधिकी स्वीकृति की राशि से अवश्य समाविष्ट होनी चाहिए।
8. आवंटित राशि से अधिक व्यय तथा अतिरिक्त दायित्व का सृजन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाय। आवंटित से अधिक व्यय के लिए आप पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे। प्रत्येक माह में स्वीकृत परियोजनाओं पर हुए व्यय का मासिक व्यय विवरणी योजनावार अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को भेजा जाय।
9. आवंटित राशि से निर्माण कार्य में व्यवहृत विभागीय सामग्रियों के मूल्य के समतुल्य राशि आवंटित राशि से घटाने के पश्चात् अवशेष राशि व्यय किया जाय। अलकतरा का उपयोग विभागीय संकल्प सं०- 6191 (एस) दिनांक- 08.09.2001 में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप किया जाय।
10. आवंटन विवरणी के क्रम सं०-1 के लिए आवंटित राशि को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग (मुख्यालय), बिहार, पटना CFMS के माध्यम से बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना के पटना कोषागार, पटना स्थित पी.एल. खाता संख्या- 243 (old जमा खाता नं०- PTCPLA012, विपत्र कोड- K8448001200019 में पुस्त अंतरण हेतु कोषागार को प्रेषित करेंगे।

11. चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में आवंटित राशि से बचत राशि का प्रत्यापन दिनांक- 15.02.2027 तक अवश्य कर दिया जाय।
12. प्रस्ताव पर सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।
13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार/ वित्त विभाग, बिहार, पटना को दी जा रही है।

(अंजनी कुमार सुमन)

मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(अंजनी कुमार)

संयुक्त सचिव (प्र0को0),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

संचिका सं0 : - 9/निधि-स्कीम (0101-पुल प्रक्षेत्र)-02-10/2026- 21(S)weA पटना, दिनांक - 13/05/26

प्रतिलिपि - महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी / संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त / सचिव कोषांग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ अभियंता प्रमुख कोषांग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ संयुक्त सचिव (प्र0को0), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / मुख्य अभियंता (अनु0), पथ निर्माण विभाग / मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना), पथ निर्माण विभाग, पटना/ मुख्य महाप्रबंधक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, पटना / अधीक्षण अभियंता (बजट), पथ निर्माण विभाग / कार्यपालक अभियंता (बजट-2), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग (मुख्यालय), पटना / आई.टी. मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / प्रशाखा पदाधिकारी-9 एवं प्रशाखा पदाधिकारी (लेखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अंजनी कुमार सुमन)

मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(अंजनी कुमार)

संयुक्त सचिव (प्र0को0),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

आवंटन विवरणी

संचिका सं0 : - 9/निधि-स्कीम (0101-पुल प्रक्षेत्र)-02-10/2026- 21(S)weA पटना, दिनांक - 13/05/26

(राशि रूपये में)

क्रम सं0	प्रमंडल / कार्यालय का नाम	विषय शीर्ष	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग(मु0) के माध्यम से बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0 के लिए	0101.53.01	0	25,00,00,000	25,00,00,000	BSRDCL - 1156 / 02.04.2026
2	कार्यपालक अभियंता, पटना पश्चिम पथ प्रमंडल, पटना	0101.53.01	0	2,00,00,000	2,00,00,000	1000 / 02.04.2026

आई. जी. मैनेजा

आवंटन विवरणी

संचिका सं० : - 9/निधि-स्कीम (0101-पुल प्रक्षेत्र)-02-10/2026- 21 (S)WRA पटना, दिनांक - 13/05/26
(राशि रूपये में)

क्रम सं०	प्रमंडल / कार्यालय का नाम	विषय शीर्ष	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
3	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, दरभंगा	0101.53.01	0	3,00,00,000	3,00,00,000	947 / 02.04.2026
योग			0	30,00,00,000	30,00,00,000	
4	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, सिवान	0101.53.02	0	2,00,00,000	2,00,00,000	813 / 02.04.2026
योग			0	2,00,00,000	2,00,00,000	
कुल योग			0	32,00,00,000	32,00,00,000	

वर्तमान आवंटन (शब्दों में) बत्तीस करोड़ रूपये मात्र ।

(अंजनी कुमार सुमन)

मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

✓

(अंजनी कुमार)
12/05/26

संयुक्त सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।